न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2024/1	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/53/2024		29.02.2024	24.04.2024

संजय पुत्र रिजकराम जाति जाट निवासी सुबासेडी तहसील बावल जिला रेवाडी हरियाण

अपीलान्ट

बनाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला खैरथल–तिजारा (राज०) सत्यमेव जयते

तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 404/2024 धारा 91 एल.आर. एक्ट

उपस्थित–

01\. श्री शीतल प्रसाद चौधरी –वकील अपीलान्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 404/2024 उनवान सरकार बनाम संजय, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का शीलगांव तहसील मुण्डावर ने तहत अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है, कि शीलगांव खुर्द तहसील मुण्डावर की सरकारी गैर मुमकिन नदी की आराजी खसरा नं0 01 रकबा 1.00 है0 पर अतिक्रमी संजय पुत्र रिजकराम जाति जाट निवासी सुब्बासेडी तहसील बावल जिला रेवाडी, हरियाणा द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिस पर तहत अदालत ने प्रकरण दर्ज कर धारा अन्तर्गत 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमण मानते हुए, मौके से बेदखल किए जाने/खडी फसल को कुर्क व नीलाम किए जाने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास एवं पैलन्टी से दण्डित किया गया है। ग्राम शीलगांव खुर्द तहसील मुण्डावर की सरकारी भूमि हाल आराजी खसरा नं0 01 रकबा 180.44 है0 में से रकबा 1.00 है0 पर मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किए अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1951 के तहत रिपोर्ट पेश की गई है। पटवारी हल्का द्वारा कोई पैमाईश नहीं की गई है , न ही कोई

24/04/2024
अति०जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा

मौका निरिक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा अतिक्रमणी को नोटिस जवाब/दस्तावेज सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधान के विपरीत अपीलान्ट के विरूद्ध आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की गई है। जो गलत है, क्योंकि अपीलान्ट को न तो पूर्व में बेदखल किया गया है, न ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है। जिससे पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता है, तहत अदालत द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान को आधार मानते हुए, आलौच्य आदेश पारित किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनेको नजीरे इस बाबत हैं, कि जब तक पत्रावली पर पूर्व में बेदखल करने के आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति न हो तब तक अतिक्रमणी को पश्चातवर्तीअतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा में कार्यवाही की गई है। तहत अदालत की पत्रावली में अतिक्रमणी की तामिल नहीं हुई। तामिल किसी व्यक्ति की निशानदेही पर मानी गई है। निशानदेही करता मिन परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। इस लिए मिन अपीलान्ट की तामिल खिलाफ कानून की गई है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 एक पक्षीय है। जिसका अपीलान्ट को कोई पूर्व में कोई इल्म नहीं था, क्योकि अपीलान्ट का पैर टूट गया था। अपीलान्ट चारपाई पर था। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.02.2024 को पुलिस द्वारा अपीलान्ट को सूचना दी और दीगर पक्षकारो से मालूम पडा दिनांक 24.02.2024 का शनिवार का अवकाश था, 25.02.2024 को रविवार होने के कारण दिनांक 26.02.2024 को तहसील कार्यालय में पहुंच कर मालूमात किया, दिनांक 26.02.2024 को नकल के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर 27.02.2024 को नकल प्राप्त हुई। 28.02.2024 को कानूनी सलाह व लिखा पढी कराई व दिनांक 29.02.2024 को बिना देरी किये यह अपील पेश की गई है। मिन अपीलान्ट के पैर में फेक्चर हो जाने के कारण लोहे की राड लगी हुई थी, जिसकी वजह से चलने–फिरने में असमर्थ था। चारपाई पर ही पडा था। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को मुजरा (कन्डोन) किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमाई जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय को दिनाक 29.02.2024 को पेश की गयी है, जो करीब एक माह देरी से पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 की जानकारी दिनाक 24.02.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्रष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है।

अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किए अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की गई है। पटवारी हल्का द्वारा कोई पैमाईश नहीं की गई है , न ही कोई मौका निरिक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा अतिक्रमणी को नोटिस जवाब/दस्तावेज सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई को समुचित अवसर नहीं दिया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया तहत अदालत के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को पटवारी हल्का शीलगांव द्वारा अतिक्रमणी संजय पुत्र रिजकराम के विरूद्ध संवत् 2080 आराजी खसरा नं0 01 रकबा 180.44 है0 में से 1.00 है0 भूमि पर

24/04/2024
अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल–तिजारा

अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने के, साथ ही अंकित किया है, कि संवत् 2079 में भी अतिक्रमण किया गया था। जिसके आधार पर पश्चातवर्तीअतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी बावजूद सूचना के उपस्थित न होने पर पटवारी हल्का के बयान लिए गये, मुताबिक बयान पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर तहत अदालत द्वारा निर्णय दिनांक 24.01.2024 के द्वारा आराजी खसरा नं0 01 रकबा 1.00 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी की भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने पर पैलेन्टी/बेदखली/03 माह की सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। वक्त बहस वकील अपीलान्ट द्वारा एक शपथ–पत्र इस आशय का पेश किया गया है, कि अतिक्रमी द्वारा किए गये अतिक्रमण को छोडा जा चुका है। वर्तमान में अतिक्रमी का काई अतिक्रमण नहीं है, कथन की पुष्टि में तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट तलब की गई, मुताबिक रिपोर्ट प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा नं. 01 अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया था। उक्त फसल को कब्जे राज ली जाकर, नीलामी की कार्यवाही की जा चुकी है। अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर दिया गया है। अतिक्रमी का मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। जिसके आधार पर अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक आंशिक स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 404/2024 उनवान सरकार बनाम संजय केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति/तहत अदालत की पत्रावली के साथ वास्ते पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते